

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी- श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 53/2020 जिला-दौसा।

लल्लू दत्ताक पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.03.2016 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 69/2016

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश कुमार पारीक।

निर्णय

दिनांक-28.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.03.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 22.5.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील लल्लू बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 के द्वारा अपील खारीज कर न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा मुकदमा नम्बर 73/2015 सरकार बनाम लल्लू में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 यथावत रखा गया।
3. न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2016 तथा नायब तहसीलदार दौसा निर्णय दिनांक 22.09.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील भीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा ने अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया जबकि सजा जैसे मुकदमे में पिडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रम होने का कोई निर्णय व सबूत नहीं है। फिर भी न्यायालय ने पश्चातवर्ती निर्णय मानकर सजा करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलांट के अपील के तथ्यों पर व तरको पर कोई विचार किये बिना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2016 तथा नायब तहसीलदार दौसा निर्णय दिनांक 22.09.2015 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.03.2016 का है लेकिन अपीलांट को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 04.05.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।
6. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते हैं। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पॉन्डेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रुख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा के समक्ष पटवारी हल्का पालावास द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने ग्राम मित्रपुरा की आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 2.98 है० किस्म चारागाह भूमि में से 0.25 है० भूमि पर ढाहरे वाड लगाकर एवं खसरा नम्बर 431 रकबा 0.14 है० किस्म चारागाह भूमि में से 0.05 है० भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 102/2015 दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को तलब किया गया तथा प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 22.09.2015 को निर्णय पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुये 90 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से वेदखल करने व वार्षिक लगान 2.70 रुपये का 50 गुणा 135/-रुपये शारित आरोपित किये जाने पर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील लल्लू वनाम सरकार में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2016 पारित कर अपील अपीलांट खारीज की जाकर नायब तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 22.09.2015 को यथावत रखा गया।

7. हम समझते हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम मित्रपुरा की आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 2.98 है० किस्म चारागाह भूमि में से 0.25 है० भूमि पर ढाहरे वाड लगाकर एवं खसरा नम्बर 431 रकबा 0.14 है० किस्म चारागाह भूमि में से 0.05 है० भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) के पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित होने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा एवं न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।
8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

म
21/09/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति-सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

म
28/09/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति-सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर